भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 107**

जिसका उत्तर, 03 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया गया

**बैंक ऋणों का पुनर्गठन**

107. श्री दीपक अधिकारी (देव):
श्री प्रताप सिम्हाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उद्योगों/कॉर्पोरेट घरानों से संबंधित बैंकों द्वारा माफ किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है और उसके बैंक-वार और कंपनी-वार क्या कारण हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उन कंपनियों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है जिनके ऋणों का पुनर्गठन किया गया है और इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार किसान ऋणों का भी पुनर्गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

**(क) से (घ):** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का उनके वैश्विक परिचालन में कुल सकल अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए था दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अलावा, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। वैश्विक परिचालनों पर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, मुख्यतया दबावग्रस्त आस्तियों की एनपीए के रूप में पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप, एससीबी का सकल एनपीए जो दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, 3,23,464 करोड़ रु. था, दिनांक 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 10,36,187 करोड़ रु. हो गया एवं एनपीए की पारदर्शी पहचान,

समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप दिनांक 30.9.2019 की स्थिति के अनुसार 1,01,267 करोड़ रु. से कम होकर 9,34,920 करोड़ रु. करोड़ रुपए हो गया है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुप्रयोज्य ऋणों सहित वैसे ऋणों, जिनको चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानी करके उन्हें बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ प्राप्त करने और पूंजी को इष्टतम बनाने के लिए अपनी नियमित प्रक्रिया के रूप में अनुप्रयोज्य आस्तियों को स्वयं बट्टे खाते डालने के प्रभाव का मूल्यांकन/विचार करते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। विगत तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही तक के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों से संबंधित बट्टे खाते डाले गए अनर्जक आस्तियों का बैंक-वार ब्यौरा अनुबंध में है। बट्टे खाते डाले गए ऋणों और पुनर्गठित ऋणों के कंपनी-वार ब्यौरे के संबंध में आरबीआई ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ड. के उपबंधों के तहत, आरबीआई को ऋण संबंधी सूचना को प्रकट करने से प्रतिबंधित किया गया है। धारा 45ड. यह सूचना प्रदान करती है कि बैंक द्वारा प्रस्तुत ऋण संबंधी सूचना को गोपनीय माना जाएगा और इसे न तो प्रकाशित ना ही प्रकट किया जाएगा।

किसानों के ऋणों के पुनर्गठन के संबंध में, यह सूचित किया गया है कि आरबीआई ने दिनांक 17.10.2018 के मुख्य दिशानिर्देश के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में सबंधित ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले राहत उपायों पर स्थायी दिशानिर्देश जारी किया है। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा कृषि ऋणों और सावधि ऋणों के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण, नए ऋण प्रदान करना, प्रतिभूति और मार्जिन शर्तों में छूट, अधिस्थगन आदि शामिल हैं और जिस समय संबंधित जिला प्राधिकारी द्वारा आपदा की घोषणा की जाती है, ये बिना किसी रुकावट के उसी समय से स्वतः लागू हो जाता है। बैंकों द्वारा राहत उपाय आरंभ करने संबंधी बेंचमार्क 33% फसल हानि है। आरबीआई ने बैंकों को पुनर्गठित ऋणों के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए दबाव नहीं देने का सुझाव दिया है।

*****

**अनुबंध**

## अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों से संबंधित बट्टे खाते डाले जाने के कारण एनपीए में कटौती

**राशि करोड़ रुपए में**

| बैंक | वित्तीय वर्ष 2016-17 | वित्तीय वर्ष 2017-18 | वित्तीय वर्ष 2018-19 | एच1 वित्तीय वर्ष 2019-20 |
|---|---|---|---|---|
| एबी बैंक लिमिटेड | - | - | 9 | - |
| अबू धाबी कॉमर्शियल बैंक पीजेएससी | 26 | 26 | 22 | - |
| इलाहाबाद बैंक | 3,466 | 3,947 | 4,941 | 6,447 |
| अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प | - | 17 | 53 | 39 |
| आंध्रा बैंक | 3,197 | 4,000 | 5,468 | 6,094 |
| एक्सिस बैंक लिमिटेड | 4,206 | 8,569 | 12,714 | 15,133 |
| बंधन बैंक लिमिटेड | - | 26 | 92 | 128 |
| बैंक ऑफ अमेरिका, नेशनल एसोसिएशन | 14 | 25 | 25 | 25 |
| बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत बी.एस.सी. | 5 | 58 | - | - |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) | 3,597 | 7,944 | 10,413 | 21,602 |
| देना बैंक | 1,720 | 2,023 | 4,390 | Amalgamated with BoB |
| विजया बैंक | 2,317 | 3,659 | 4,561 | |
| बैंक ऑफ इंडिया | 8,633 | 14,226 | 18,546 | 16,010 |
| बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 824 | 1,762 | 4,474 | 4,821 |
| बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया | 101 | 160 | 26 | - |
| बार्कलेज बैंक पीएलसी | 455 | 459 | 459 | 459 |
| केनरा बैंक | 9,442 | 16,244 | 31,515 | 25,388 |
| कैथोलिक सीरियन बैंक लि | 187 | 190 | 341 | 393 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 6,780 | 8,843 | 15,368 | 15,514 |
| सिटी बैंक एन.ए. | 74 | 97 | 116 | 134 |
| सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड | 160 | 258 | 333 | 320 |
| कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए. | - | 206 | - | - |
| कॉर्पोरेशन बैंक | 6,782 | 13,838 | 18,266 | 19,358 |
| क्रेडिट एग्रीकोल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक | 263 | 72 | 251 | - |
| डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड | 1,985 | 2,419 | 2,642 | 2,642 |
| डीसीबी बैंक लिमिटेड | 29 | 34 | 71 | 117 |
| इ्यूश बैंक एजी | 108 | 123 | 274 | 284 |
| दोहा बैंक क्यू.पी.एस.सी. | 242 | - | - | - |
| फेडरल बैंक लिमिटेड | 789 | 638 | 730 | 875 |
| एचडीएफसी बैंक लिमिटेड | 848 | 989 | 1,071 | 1,746 |
| हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्प. लिमिटेड | 86 | - | - | - |
| आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड | 8,328 | 12,366 | 17,461 | 18,457 |
| आईडीबीआई बैंक लिमिटेड | 6,388 | 17,498 | 28,437 | 30,020 |
| आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | 1,371 | 956 | 2,530 | 3 |
| इंडियन बैंक | 1,712 | 2,661 | 5,432 | 5,326 |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 2,988 | 5,440 | 8,312 | 16,857 |
| इंडसइंड बैंक लि | 614 | 744 | 916 | 1,133 |
| जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड | 651 | 2,508 | 1,655 | 1,677 |
| जेपीमोर्गन चेस बैंक नेशनल एसोसिएशन | 270 | 271 | 287 | 293 |
| कर्नाटक बैंक लि | 733 | 939 | 1,379 | 1,926 |
| करूर वैश्य बैंक लि | 712 | 903 | 1,240 | 1,137 |

वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) बैंकों का अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/ कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। वर्ष 2015 में आरम्भ एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा इनके लिए प्रावधान किए गए। पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप अब दिनांक 30.9.2019 की स्थिति के अनुसार, 9,34,920 करोड़ रुपए घटकर 1,01,267 करोड़ रुपए हो गया है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ,अनुप्रयोज्य ऋणों सहित उन ऋणों, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ और पूंजी को इष्टतम बनाने के लिए अपनी नियमित प्रक्रिया के रूप में अनुप्रयोज्य आस्तियों को स्वयं बट्टे खाते डालते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ताओं पर पुनर्भुगतान का दायित्व बना रहता है और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | 958 | 1,194 | 1,266 | 1,466 | |
| लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड | 274 | 361 | 619 | 430 | |
| एमयूएफजी बैंक लिमिटेड | 98 | - | - | - | |
| नैनीताल बैंक लि | - | 11 | 11 | 11 | |
| ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स | 3,743 | 8,149 | 10,805 | 11,575 | |
| पंजाब एंड सिंध बैंक | 1,013 | 1,217 | 2,592 | 2,575 | |
| पंजाब नैशनल बैंक | 25,899 | 30,590 | 38,576 | 41,746 | |
| आरबीएल बैंक लिमिटेड | 60 | 71 | 75 | 192 | |
| एसबीएम बैंक (इंडिया) लिमिटेड | 103 | 121 | - | - | |
| साउथ इंडियन बैंक लि | 566 | 694 | 553 | 944 | |
| स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक | - | - | 872 | 479 | |
| भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) | 55,958 | 79,999 | 1,24,165 | 1,45,239 | वैश्विक परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) बैंकों का अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 25,03,431 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 68,75,748 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/ कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। वर्ष 2015 में आरम्भ एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा इनके लिए प्रावधान किए गए। पहचान, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की सरकार की कार्यनीति के परिणामस्वरूप अब दिनांक 30.9.2019 की स्थिति के अनुसार 9,34,920 करोड़ रुपए घटकर 1,01,267 करोड़ रुपए हो गया है।<br><br>आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ,अनुप्रयोज्य ऋणों सहित उन ऋणों, जिनके चार वर्ष पूरा होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे खाते डालकर संबंधित बैंक के तुलन-पत्र से हटा दिया जाता है। बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों और अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अपने तुलन-पत्र को परिशुद्ध करने, कर लाभ और पूंजी को इष्टतम बनाने के लिए अपनी नियमित प्रक्रिया के रूप में अनुप्रयोज्य आस्तियों को स्वयं बट्टे खाते डालते हैं। चूंकि बट्टे खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ताओं पर पुनर्भुगतान का दायित्व बना रहता है और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देयराशियों की वसूली की प्रक्रिया चलती रहती है, बट्टे खाते डाले जाने से उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। |
| स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 2,833 | Merged into SBI | | | |
| स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 4,077 | | | | |
| स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर | 1,628 | | | | |
| सिंडीकेट बैंक | 3,164 | 4,489 | 7,626 | 7,985 | |
| तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड | 357 | 861 | 1,073 | 1,064 | |
| दि धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड | 241 | 203 | 204 | 204 | |
| दि रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड पीएलसी | - | 49 | 115 | - | |
| यूको बैंक | 4,718 | 5,503 | 7,223 | 10,247 | |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 1,795 | 2,997 | 3,864 | 7,853 | |
| यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 2,134 | 4,017 | 9,383 | 1,130 | |
| येस बैंक लि. | 355 | 902 | 1,261 | 1,580 | |

स्रोतः आरबीआई

*****